

संख्या-6/एफ1-301/19 प्र0सं0- 1966

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक- 7-5-19

विषय:

राज्य योजना बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग, पटना की स्थापना एवं उसमें सृजित राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों के वित्तीय वर्ष 2019-20 में अवधि विस्तार तथा इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वेतनादि एवं अन्य मद में प्रावधानित ₹ 186.12 लाख (₹ एक करोड़ छियासी लाख बारह हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में राज्य योजना बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग, पटना की स्थापना एवं उसमें सृजित राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों के वित्तीय वर्ष-2019-20 के लिए दिनांक 01-04-2019 से 31-3-2020 तक अवधि विस्तार तथा वेतनादि एवं अन्य मद में प्रावधानित ₹ 186.12 लाख (₹ एक करोड़ छियासी लाख बारह हजार) मात्र का निम्न प्रकार से इकाईवार अनुमानित व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	विषयशीर्ष	बजट उपबंध 2019-20
1	2	3
1	01-वेतन	
	0106.01.01 वेतन	9472000
	0106.01.03 जीवन यापन भत्ता	746000
	0106.01.04 मकान किराया भत्ता	1643000
	0106.01.05 परिवहन भत्ता	556000
	0106.01.06 चिकित्सा भत्ता	242000
	0106.01.07 अन्य भत्ता	1302000
	योग-26-2230.01.101.0106.01-वेतन	13961000
2	06-चिकित्सा प्रतिपूर्ति	
	0106.06.01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	100000
3	11-यात्रा व्यय	
	0106.11.01 यात्रा व्यय	300000
4	13-कार्यालयी व्यय	
	0106.13.01 कार्यालय व्यय	700000
	0106.13.02 वाहन का ईंधन एवं रख रखाव	800000
	0106.13.03 दूरभाष	250000
	0106.13.04 विद्युत प्रभार	50000
	0106.13.10 भाड़े की गाड़ी का भुगतान	700000
5	16-प्रकाशन	
	0106.16.01 प्रकाशन एवं मुद्रण	400000
6	20-अन्य प्रशासनिक व्यय	
	0106.20.02 कॉन्फ्रेंस, कार्यशाला, सेमिनार	400000

7	26-विज्ञापन और प्रकाशन	
	0106.26.01 विज्ञापन और प्रकाशन	300000
8	28-व्यावसायिक सेवाएँ	
	0106.28.02 संविदा सेवाएँ	350000
9	51-मोटर वाहन	
	0106.51.01 मोटर गाड़ी-कार्यालय	1000
	योग-26-2230.01.101.0106- बिहार बाल श्रमिक आयोग का गठन	18612000

(₹ एक करोड़ छियासी लाख बारह हजार) मात्र ।

2. यह चालू योजना है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-3388 दिनांक-14.05.18 द्वारा बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग, पटना की स्थापना एवं उसमें सृजित राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों के वित्तीय वर्ष 2018-19 में अवधि विस्तार तथा इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वेतनादि एवं अन्य मद में प्रावधानित ₹ 2,16,64,000/- (₹ दो करोड़ सोलह लाख चौसठ हजार) मात्र मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3. आयोग के लिए निम्नांकित पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्वीकृत पदों का वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2020 तक अवधि विस्तार की स्वीकृति दी जा रही है:-

क्र०सं०	पदनाम	स्वीकृत बल	वेतनमान
1.	आयोग के अध्यक्ष	1	25000/-
2.	आयोग के उपाध्यक्ष	1	25000/-
3.	आयोग के सचिव	1	Level-13
4.	आयोग के सहायक सचिव	1	Level-12
5.	आयोग के निजी सचिव	1	Level-09
6.	प्रशाखा पदाधिकारी	1	Level-09
7.	सहायक	3	Level-08
8.	आशुलिपिक	2	Level-06
9.	निम्न वर्गीय लिपिक	1	Level-04
10.	कम्प्यूटर ऑपरेटर	1	Level-07
आयोग के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निजी पदाधिकारी/कर्मचारी			
11.	अध्यक्ष के आप्त सचिव	2	Level-07
12.	उपाध्यक्ष के आप्त सचिव	1	Level-07
13.	अध्यक्ष के निजी सहायक	2	Level-06
14.	उपाध्यक्ष के निजी सहायक	2	Level-06
15.	अध्यक्ष के निम्न वर्गीय लिपिक	1	Level-03
16.	उपाध्यक्ष के निम्न वर्गीय लिपिक	1	Level-03
17.	अध्यक्ष के आदेशपाल	2	Level-01
18.	उपाध्यक्ष के आदेशपाल	1	Level-01

4. प्रस्तावित योजना हेतु योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध उपलब्ध है ।

5. इस पर होने वाला व्यय मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-101-औद्योगिक संबंध-मांग संख्या-26-उप शीर्ष-0106-बिहार बाल श्रमिक आयोग का गठन (विपत्र कोड-26-2230011010106) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में उचित इकाईयों से बजट में उपबंधित राशि से विकलनीय

6. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सचिव, बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी श्रमायुक्त, बिहार होंगे। इसकी निकासी विकास भवन कोषागार, नया सचिवालय, पटना से होगी।
7. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहाकार की सहमति प्राप्त है ।
8. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

[Handwritten Signature]
25/5/2019

संयुक्त सचिव

श्रम संसाधन विभाग

ज्ञापांक:- 6/एफ1-301/19 श्र0सं0- 1966 पटना, दिनांक 7-5-19

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/श्रमायुक्त के सचिव, पटना/कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन कोषागार, नया सचिवालय, पटना/सचिव, बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग, पटना/आई.टी. मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु /प्रशाखा-02 सरकार पक्ष /प्रशाखा-01(श्रम पक्ष) एवं बजट शाखा प्रशाखा-06(श्रम पक्ष)/व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6(श्रम पक्ष) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

[Handwritten Signature]
25/5/2019

संयुक्त सचिव

श्रम संसाधन विभाग